सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 18, बुधवार, शाके 1943-मार्च 09, 2022

Phalguna 18, Wednesday , Saka 1943- March 09, 2022

भाग 5 (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।

श्रम विभाग

आदेश

जयपुर, मार्च 03, 2022

संख्या एफ 1**/आरटीयू/यूनियन बहाली/**2021/5953 :-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ. **1**/आरटीयू/रिर्टन/**2006-17**/निरस्तीकरण/ **19/18931** दिनांक **16.7.2019** के द्वारा पंजीकृत व्यवसायिक संघो को व्यवसाय संघ अधिनियम, **1926** की धारा-**28** के अन्तर्गत निर्धारित फार्म "डी" में वार्षिक आय-व्यय विवरण प्रस्तुत नही करने के कारण अधिनियम की धारा-**10** के प्रावधानुसार उनके पंजीयन को निरस्त (रद्) कर दिया गया था।

उक्त आदेश के साथ संलग्न सूची मे क्रम संख्या **168, 1446** पर अंकित श्रम संघों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उन्हे दिनांक **31.1.2019** एवं दिनांक **30.4.2019** को जारी किया गया कारण बताओ (शो-काज) नोटिस प्राप्त नही हुआ तथा दिनांक **19.6.2019** को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की जानकारी भी नही हो पाई साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि पूर्व पदाधिकारियों को नियमों की जानकारी नही होने के कारण नियत वर्षो के आय व्यय विवरण नही भिजवाये जा सके। भविष्य में वे नियत समय पर भिजवाते रहेगें। श्रमिकों/सदस्यों की समस्याओं के निराकरण के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र व्यवहार कर**,** समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है एवम नियमित समय पर कार्यकारिणी चुनाव करवाये जा रहे है तथा वे लगातार कार्यशील रहे है।

श्रम संघो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों एवं उसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा दिनांक **28/02/2022** को सुना गया। प्रार्थना पत्रों में दिये गये कारणों/स्पष्टीकरण से मै सन्तुष्ट हू। अतः मैं राजीव किशोर सक्सैना,रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) राजस्थान, जयपुर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ **1**/आरटीयू/रिर्टन /**2006-17** /निरस्तीकरण /**19** /**18931** दिनांक **16.7.2019** मे संलग्न सूची में अंकित श्रम संघो के नाम उक्त आदेश से विलोपीत करने एवं निरस्त किये गये पंजीयन को बहाल करने का आदेश देता हूं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

पंजीयन बहाल किये गये श्रम संघो का विवरण

क्र.सं.	श्रम संघ का नाम एवं पता	पंजीयन संख्या	आदेश दिनांक में अंकित क्रम संख्या
1.	सेन्ट्रल बैंक ऑफिसर्स ऐसोसियेशन राजस्थान, मार्फत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन,संसार चन्द रोड,	आरटीयू/**9/86**	**168**

	जयपुर।		
2.	राजस्थान मजदूर यूनियन, चित्तौडगढ **23/6** कुम्भा नगर,चित्तौडगढ-**312001** (राजस्थान)	एआरटीयू /यूडीआर/**28/ 16**	**1446**

राजीव किशोर सक्सैना,
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन
अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.)
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।